



# प्रेस नोट थाना रोजा



## जनपद शाहजहाँपुर

**सराहनीय कार्य दिनांक - 07.04.2026**

**थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार ।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी/जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब/शस्त्र, अफीम चरस बिक्री/निर्माण एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/गश्त के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

### **संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 05.04.2026 को थाना रोजा पर वादी विपिन कुमार पुत्र ओमकार नाथ पाण्डेय नि०ग्रा० सरही थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक तहरीर बावत कम्बाइन चालक द्वारा जानबूझकर गेहूँ काटने वाली कम्बाइन से वादी की माता को टक्कर मारकर मृत्यु कर देने के संबंध में दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रोजा पर मु०अ०सं० 146/25 धारा 105 बीएनएस बनाम अभियुक्तगण अशफाक उर्फ राना पुत्र अलताफ 2. इकलाख पुत्र अलताफ निवासीगण ग्राम सरही थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर कम्बाइन चालक नौसाद पुत्र शराफत उम्र करीब 45 वर्ष नि०ग्रा० दिलावलपुर थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी का नाम प्रकाश में आया । आज दिनांक 07.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आए अभियुक्त कम्बाइन चालक नौसाद उपरोक्त को बरतारा चौराहा से समय 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

नौसाद पुत्र शराफत उम्र करीब 45 वर्ष नि०ग्रा० दिलावलपुर थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु०अ०सं० 146/26 धारा 105 बीएनएस थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

### **गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान:**

दिनांक 07.04.2026 समय 10.50 बजे, बरतारा चौराहा

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार

अपराध निरीक्षक गंगा सिंह

उ०नि० राकेश कुमार

का० नितिन कुमार